



पुनरीक्षण याचिका प्रकरण कमांक/2018

दिनांक 20.11.2018

श्री विमर्दे का धर्मनाथ
द्वारा 20-11-18
गुजरात जिला

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प
इंदौर म.प्र.

निगरानी-6349/2018/बुरहानपुर/भू.रा.

वामन पिता रामू न्हावी नाई
निवासी ग्राम खामनी तहसील
जिला बुरहानपुर म.प्र.

.....प्रार्थी

विरुद्ध

अशोक पिता साहेबराव पाटिल,
निवासी ग्राम खामनी
तहसील एवं जिला बुरहानपुर

.....प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा अपील प्रकरण कमांक
521/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18.10.18 से असंतुष्ट
होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा
रही है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक: गिगन/ 6349/ 2018/ पुनरावलोकन/ 20-11-18

विरुद्ध: राज

विरुद्ध: ~~अविनाश सुगंधी~~ अविनाश सुगंधी

तहसील:

जिला:

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>20-11-2018</p>	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री: <u>अविनाश सुगंधी</u></p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार आवेदक की ओर से श्री अविनाश सुगंधी अभिभावक उपस्थितता उनके द्वारा प्रकरण वापिस लेने का अनुरोध किया गया। आवेदक अभिभावक के निवेदन पर प्रकरण वापिस किया जाता है।</p>	<p><u>अविनाश सुगंधी</u> 20.11.18</p>